तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अवगत कराया कि आ० ख० नं० 190, 193, 195, 196, 197, 198, 539, वाके ग्राम मैनापुरा तह० भुसावर में स्थित है जिसमें अपीलान्ट 1/16 व रेस्पो० सं० 2 लगायत 4 प्रत्येक 1/16, 1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आ रहा है अपीलान्ट के पिता विजयराम की मृत्यु के बाद रेस्पो० संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत मैनापुरा में द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पो० सं० 2 लगायत 4 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया था जिसमें अपीलान्ट का नाम गुल्लन के स्थान पर वीरसिंह दर्ज कर दिया गया जिससे अपीलान्ट ~~व्यथित~~ व्यथित है जबकि मेरे राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड पहचान पत्र में सही नाम गुल्लन दर्ज है अतः अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर सही नाम वीरसिंह के स्थान पर गुल्लन किया जावे। जवाब रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 द्वारा अपील स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। तथा नाम सही वीरसिंह के स्थान पर गुल्लन किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त के आधार पर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः नामान्तरकरण सं. 403 दिनांक 26.12.2000 ग्राम पंचायत मैनापुरा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट का नाम वीरसिंह के स्थान गुल्लन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। तथा अपीलान्ट की माँ व दोनों भाईयों के नाम जमाबन्दी में यथावत बदस्तूर दर्ज किए जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर